

असाधाररण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

शाधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 1986/वंशाख 17, 1908 No. 171] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 1986/VAISAKHA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सब्दे

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन श्रीर पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास धायुक्त (ग्रोषधि) का कार्यालय

ध्रादेश

नई दिल्ली, 7 मई, 1986

का. था. 244(अ). — केन्द्रीय सरकार, श्रोषधि (कीमत नियंत्रण) श्रादेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5151 रू. प्रति किलोग्राम को उस श्रिधकतम विकय कीमत के रूप में नियत करती है जिसपर स्वदेश में विनिर्मित डाई फेनो, किसलेट हाइड्रोक्लोराइड का विकय किया जाएगा।

[सं. 8(42)/85-श्री. II]

हा. शार. वी. वैधनाय भ्रय्यर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 7th May, 1986

S.O. 244(E) — In exercise of the powers conferred by subparagraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes Rs. 5151;—per kg. as the maximum sale price at which Diphenoxylate Hydrochloride manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8(42)|85-D.11]

DR. R. V. VAIDYANATHA AYYAR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)